

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/4487

दिनांक: 01-07-19

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्रीमती विमला देवी	सफाई कर्मचारी	नोखा	बीकानेर
2.	श्री राजेश मित्तल	वरिष्ठ सहायक	कैथून	कोटा
3	श्री भंवरलाल प्रजापत	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	छोटीसादड़ी	बड़ी सादड़ी
4	श्री सोनू पुत्र श्री रामकुमार	सफाई कर्मचारी	रावतसर	भादरा
5	श्री आशीष श्रृंगी पुत्र श्री नन्द किशोर	कनिष्ठ लिपिक	केशवराय पाटन	नैनवा
6	श्री सुनिल पुत्र स्व.श्री शिवलाल	सफाई कर्मचारी	नोखा	बीकानेर
7	श्री हनुमान पुत्र स्व.श्री शिवलाल	सफाई कर्मचारी	नोखा	बीकानेर
8	श्री लालचन्द पुत्र शिवलाल	सफाई कर्मचारी	अनुपगढ़	बीकानेर
9	श्रीमती स्नेहलता	सफाई कर्मचारी	सुमेरपुर	पिण्डवाडा
10	श्री विशाल माथुर	वरिष्ठ सहायक	डीडवाना	परबतसर
11	श्री विनोद कुमार राणा	कनिष्ठ सहायक	नदबई	नगर
12	श्री शिभूदयाल टेलर	सहायक कर्मचारी	श्रीमाधोपुर	रींगस
13	रजनी कुमारी कालीरावणा	फायरमैन	झुन्झुनु	खण्डेला
14	श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी श्री शंकर लाल	सफाई कर्मचारी	उदयपुर	राजसमंद
15	श्री रणवीर सेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मकराना	कुचामन
16	श्री महेन्द्र गोदारा	वरिष्ठ लिपिक	अनुपगढ़	देशनोक
17	श्री विजय कुमार	जमादार	सांचोर	सांचोर पदोन्नति स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय के पद पर होने के कारण
18	श्री प्रवीण कुमार राजपुरोहित	स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय	सांचोर	एपीओ निदेशालय

श्री विजय कुमार जमादार की पदोन्नति स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय के पद पर होने के कारण उनको यथावत सांचोर में ही रखा जाता है। विभागीय आदेश क्रमांक:3716 दिनांक 07.03.2019 के द्वारा श्री महेन्द्र गोदारा वरिष्ठ सहायक का नगर पालिका अनुपगढ़ से नगर पालिका रायसिंहनगर किया स्थानान्तरण निरस्त करते हुए नगर पालिका देशनोक में किया जाता है।

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

3-01/19
(उज्ज्वल राठी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/ 4488-4552

दिनांक : 01-01-19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाली अधिकारी नगर निगम/ पालिका/परिषद.....
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग.....
6. संबंधित कर्मचारी श्री
7. सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)